संख्या-77/2018/1026/23-3-2018-23नाबार्ड(सेतु)/2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-24 योजनान्तर्गत 11 सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-700/नदी सेतु/नाबार्ड/बी0एम0सी0/2018, दिनांक 01.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ-24 योजनान्तर्गत संलग्न सूची में वर्णित 10 जनपदों यथा मुरादाबाद, उन्नाव, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, रायबरेली, मैनपुरी, हाथरस, अमरोहा, सुल्तानपुर व जौनपुर के 11 ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 66,38,47,000/-(रूपये छांछठ करोड़ अड़तीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) (जिसमें सेतुओं की मूल लागत पर 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय रू0 552.47 लाख, लेबर सेस एक प्रतिशत रू0 27.89 लाख एवं मूल्य ह्रास निधि की धनराशि रू0 29.73 लाख, जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 569.10 लाख, इनबिल्ट चार्ज रू0 493.98 लाख, भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 691.48 लाख व इन-इलीजिबिल कास्ट रू0 194.71 लाख की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-17 के अनुसार रू0 13,27,70,000/-(रूपये तेरह करोड़ सत्ताइस लाख सत्तर हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 1046.09 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 281.61 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते

(1) परियोजना की लागत का अधिष्ठान व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-05-अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में एक प्रतिशत लेबर सेस आंकलित किया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि यह उपकर श्रम विभाग को वास्तविक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायगी।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(5) कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न हो, यह भी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या-831/23-1-10(रिट)/10, दिनांक 20.04.10 के अनुपालन में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त अपेक्षित अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई है।

18/11/19
सहायक अभियंता B.P.S Yadav
प्रा0खं0लो0नि0वि0

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्र0	नाम	[illegible]	खण्ड का नाम	सेतु की लम्बाई (मी0)	कार्य की प्रेषित लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	इनबिल्ट पार्ट्स लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग क्रमशः)	जी0एस0टी0 (कॉलम 6+7 का 12 प्रतिशत)	भूमि अध्याप्ति	योग (सेतु, पहुंच मार्ग, भूमि अध्याप्ति सहित कॉलम 6 से 12 तक का योग)	प्रशासनिक, वित्तीय स्वीकृति	इन-बिल्डिंग [illegible]	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश (कॉलम 11-13)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि		
														अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	हाथरस	जनपद हाथरस में ब्लैक स्पॉट के अन्तर्गत पीलीभीत भरतपुर मार्ग किमी0-219 में सोखना स्थित अलीगढ़ ड्रेन पर 5x4 मी0 बॉक्स कल्वर्ट के आर0सी0सी0 पुल एवं पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	प्रा0ख0 हाथरस	23.72	153.67	18.44	[illegible]0.65	0.00	210.83	255.20	4.51	200.55	54.65	40.22	10.82	51.04
				[illegible]	32.34	3.88	[illegible]	0.00	[illegible]							
				योग	186.01	22.32	[illegible]	[illegible]	255.20							
9	अमरोहा	जनपद अमरोहा में ग्राम चांदरा फार्म से झुण्डपुरा-(रफातपुर) के मध्य वाह नदी पर 3x18.00 मी0 स्पान का सेतु एवं पहुच मार्ग निर्माण कार्य।	प्रा0ख0 अमरोहा	[illegible]	[illegible]	22.11	25.21	0.00	257.38	337.31	5.96	265.08	72.23	53.15	14.31	67.46
					58.26	6.99	7.83	0.00	79.93							
				योग	246.26	29.095	33.04	0.00	337.31							

8/11/19
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
हाथरस
BPS Yadav

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, (निर्माण), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
4- प्रमुख वन संरक्षक ,उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भास्कर पाण्डेय)

अनु सचिव।

सहायक अभियंता (B.P.S Yadav)
प्रा0खं0लो0नि0वि0
हाथरस

अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त लो0नि0वि0, अलीगढ़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।